Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment,** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 5. Director, National Museum of Natural History – Chairman; 6. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member; 7. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; 8. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.	Not applicable.

[F. No. 4(21)/2016-17/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

सा.का.नि. 89.—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017 का अधिक्रांत करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

कोई आक्षेप या सुझाव, जो पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, उप सचिव (पशु कल्याण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा।

प्रारूप नियम

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु बाजारों में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "पशु बाजारा" से कोई बाजार स्थल या विक्रय बाड़ा या कोई अन्य परिसर या स्थान अभिप्रेत है जहां पर पशुओं को अन्य स्थानों से लाया जाता है तथा इसके अंतर्गत पशु मेला और पशु कांजी हौज भी है, किसी राज्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन, जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त हो, जहां पर पशुओं को विक्रय या नीलामी के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किया जाता है ;

(ग) "समिति" से प्रत्येक जिले के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण के लिए नियम 3 के अधीन गठित या अभिहित समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रतिषिद्ध व्यवसाय" से ऐसे व्यवसाय अभिप्रेत है, जो पशुओं के लिए अपहानिकर है और जो अनावश्यक पीड़ा और यातना कारक है ;

(च) "पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;

(छ) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) "अयोग्य पशु" के अंतर्गत ऐसे पशु, जो अल्पवय, पहले ही से गर्भावस्था में, दुर्बल, अस्वस्थ, रूग्ण, क्षतिग्रस्त या थके-मांदे भी हैं ;

(झ) "पशु चिकित्सा निरीक्षक" से किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक अभिप्रेत है ;

(ञ) "अल्पवय पशु" से छह मास की आयु से कम का कोई पशु अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय – 2 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति

3. **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति का गठन.**- (1) इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले में संबद्ध राज्य सरकार द्वारा एक पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति गठित या अभिहित की जाएगी।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

(क) जिला मजिस्ट्रेट ;

(ख) राज्य पशु कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि ;

(ग) जिला पुलिस अधीक्षक ;

(घ) पशु कल्याण से संबंधित गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि ;

IndiaCode

(ङ) एसपीसीए का एक प्रतिनिधि ;

(च) जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा ;

(छ) यथास्थिति, जिला परिषद् या स्वायत्त परिषद् का अध्यक्ष ;

(ज) नगरपालिका या जिला स्तर में पंचायत अध्यक्ष ;

(झ) समिति में ऐसे तीन से अनधिक अन्य व्यक्ति हों जिनके पास पशु कल्याण, पशु चिकित्सा विज्ञान, शासन और विधि प्रवर्तन में विशेषज्ञता हो।

परंतु यह कि राज्य सरकार, इन नियमों के प्रवर्तन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति के रूप में पशु बाजारों को चालू रखने के लिए राज्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों या उसके अधीन जिला प्रशासन या उसके द्वारा स्थापित किसी समिति को अभिहित कर सकेगी।

परंतु यह और कि खंड (क) से खंड (झ) के उपबंध प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट समिति के मामले में लागू नहीं होंगे।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, समिति का सदस्य बनने में प्रतिषिद्ध होगा।

4. समिति के कृत्य.- (1) प्रत्येक समिति, यथावश्यक, सभी उपाय करेगी जिससे कि ऐसे व्यक्तियों से ऐसे निदेशों के माध्यम से उसकी अधिकारिता में पशु बाजारों में पशुओं को कोई अनावश्यक पीड़ा और यातना न हो।

(2) उप नियम (1) के अधीन उसकी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति –

(क) नियम 5 के अधीन, इन नियमों के अनुपालनकर्ता से, किन्हीं अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, पूर्ण रूप से या अनंतिम रूप से, जो वह ठीक समझे, उसकी अधिकारिता में प्रत्येक विद्यमान पशु बाजार का सत्यापन कराएगी ;

(ख) नियम 6 के अधीन, इन नियमों के अनुपालनकर्ता से, किन्हीं अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, पूर्ण रूप से या अनंतिम रूप से, जो वह ठीक समझे, उसकी अधिकारिता में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक नए पशु बाजार का सत्यापन कराएगी ;

(ग) नियम 7 के अधीन, उसकी अधिकारिता में स्थित सभी पशु बाजारों की सुविधाओं संबंधी विनिर्देशों, जिसके अतंर्गत अधिकतम धारिता क्षमता भी है, का अवधारण कराएगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कराएगी कि उसकी अधिकारिता में कोई पशु बाजार, यदि ऐसी अधिकारिता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नियम 8 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार पशुओं के परिवहन का स्त्रोत नहीं है ;

(ङ) नियम 12 के अधीन उसकी अधिकारिता में स्थित पशु बाजारों पर पशु विक्रय के रजिस्टर के रखरखाव करने के सभी आवश्यक उपाय कराएगी ;

(च) नियम 13 के अधीन उसकी अधिकारिता में पशु के विक्रय के अनुरूप होने के प्रमाणपत्र देने के लिए आवश्यक इंतजाम कराएगी ;

(छ) पशु चिकित्सक, निरीक्षक की ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो नियम 15 के अधीन उसकी अधिकारिता में पशु बाजारों का निरीक्षण करने में उसकी सहायता करने के लिए अवधारित करें, की सेवाओं को लगा सकेगी या उसका उपयोग कर सकेगी ;

(ज) नियम 16 के अधीन इन नियमों के अननुपालन के लिए समुचित कार्रवाई कराएगी।

5. विद्यमान पशु बाजारों में नियमों का प्रवर्तन.- (1) जिला मजिस्ट्रेट इन नियमों के प्रारंभ से पहले प्रयोजन मूलक पशु बाजार की सूची तैयार करेगा और ऐसे प्रारंभ के दो सप्ताह के भीतर समिति को इसकी सूचना देगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व प्रत्येक प्रयोजन मूलक पशु बाजार समिति द्वारा नियत समय अवधि के भीतर समिति से इन नियमों सहित प्ररूप 1 में पूर्ण अनुपालन का प्रमाणपत्र मांगा जाएगा।

(3) समिति ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगी जिसके अंतर्गत समिति के, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी शर्तों में इन नियमों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करना भी है, विनिश्चय करेगी।

6. नए पशु बाजारों में नियमों का प्रवर्तन.- (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित करने के लिए चाहे गए किसी नए पशु बाजार को इन नियमों के अनुपालन के संबंध में प्ररूप 1 में समिति से पूर्व प्रमाणपत्र की अपेक्षा किया जाएगी ।

(2) समिति ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अनंतिम प्रमाण पत्र प्रदान करेगी जिसके अंतर्गत समिति के, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी शर्तों में इन नियमों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करना भी है, विनिश्चय करेगी ।

अध्याय 3 : पशु बाजारों में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सुविधाएं और उपबंध

7. पशु बाजारों में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सुविधाएं.- (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पशु बाजार में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हो :-

(i) जल आपूर्ति ;

(ii) उस क्षेत्र में, जहां सूर्यास्त के पश्चात् बाजार में कार्य करना पड़ता है, प्रकाश की व्यवस्था ;

(iii) चारा भंडारण क्षेत्र और चारे का प्रदाय ;

(iv) स्थल से मृत पशुओं के व्ययन की समुचित व्यवस्था ;

(v) खाद और जैव अपशिष्ट के व्ययन की समुचित व्यवस्था ।

(2) समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, प्रत्येक पशु बाजार के अधिकतम धारिता क्षमता का अवधारण करेगी ।

(3) उप नियम (1) में उल्लिखित सुविधाओं और उपनियम (2) के अनुसार अवधारित अधिकतम धारिता क्षमता संबंधी विनिर्देशों को समिति द्वारा प्रत्येक पशु बाजार को सूचित किया जाएगा और पशु बाजार में ऐसी रीति में, जो समिति निदेश दें, प्रमुख रूप में प्रदर्शित कराया जाएगा ।

8. अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पशु बाजार.- किसी समिति की, जिसकी अपनी अधिकारिता में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी अधिकारिता में कोई पशु बाजार है जहां पशु परिवहन नियम, 1978 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 के अनुसार के सिवाय किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार पशुओं के परिवहन के स्त्रोत नहीं है ।

9. **प्रतिषिद्ध आचरण.-** पशु बाजार में निम्नलिखित क्रूर और अपहानिकर आचरण प्रतिषिद्ध होंगे, अर्थात् :-

(क) पशु पहचान पद्धतियां, जैसे तप्त छापा और शीत छापा ;

(ख) सींगों की छापा, घोड़ों में बिशपिंग और भैंसों में कान काटना ;

(ग) नालबंदी के दौरान यथोचित शैय्या के बिना पशु को कठोर सतह पर गिराना;

(घ) पशुओं के शरीर के अंगों पर किन्हीं खतरनाक रसायनों का उपयोग;

(ङ) किसी सामग्री का उपयोग करते थक की चूंची को बंद करना, जैसे दूध पीने से रोकने के लिए चिपकने वाला टेप;

(च) उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक से भिन्न द्वारा विहित कोई भी तरल या द्रव का बलपूर्वक पिलाना या स्टेरायड्स या मूत्रल या प्रतिजैविकी उपयोग करना;

(छ) अल्पवय पशु को दूध पीने या खाना खाने से रोकने के लिए, अर्थात् दुख पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के छीका का उपयोग करना;

(ज) दुधारू पशुओं के शरीर में आक्सिटोक्सिन का इंजेक्शन लगाना;

(झ) मिथ्याचिकित्सक या परंपरागत चिकित्सक द्वारा पशुओं का बधियाकरण;

(ञ) किसी पशु चिकित्सक से भिन्न पहचान प्रयोजनों के लिए नाक नाटना या कान चीरना या चाकू से काटना या लोहे से चिन्हांकित करना;

(ट) पशुओं के गुप्तांग को चारों ओर बांधना या;

(ठ) समिति द्वारा उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, यथा अवधारित कोई अन्य प्रतिषिद्ध आचरण ।

परंतु समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त आचरण में से किसी को शिथिल कर सकती है ।

10. पशुओं को खाना और पानी देना.- पशुओं के प्रभारी व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में पशुओं के लिए –

(क) जितनी बार भी आवश्यक हो, प्यास के कष्ट से निवारित करने के लिए स्वास्थ्यप्रद जल की यथोचित मात्रा में व्यवस्था की जाए;

(ख) जितनी बार भी आवश्यक हो, भुखभरी के कष्ट से निवारित करने के लिए स्वास्थ्यप्रद खाद्य की यथोचित मात्रा में व्यवस्था की जाए ।

अध्याय 4 – पशु विक्रयों में क्रूरता का निवारण

11. अयोग्य पशु संबंधी प्रतिषेध.- (1) किसी अयोग्य पशु या अल्पवय पशु को पशु बाजार में नहीं बेचा जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी पशु को, पशु बाजार में या ऐसे पशु बाजार से विक्रय के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि उसका वहीं रहते हुए या उसके परिवहन के दौरान जन्म दिया जाना संभाव्य है ।

12. पशु विक्रय का रजिस्टर.- (1) समिति अंतर्विष्ट रजिस्टर का निम्नलिखित रूप में अनुरक्षण कराएगी –

(क) पशु बाजार पर पशु के क्रेता और विक्रेता का नाम और पता

(ख) पशु बाजार पर विक्रय किए गए पशु के ब्यौरे ।

(2) समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी अवधि के लिए, जो अवधारित किए जाएं, समिति द्वारा रजिस्टर को रखा जाएगा ।

13. क्रेता के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र.- समिति, यह घोषणा प्राप्त करने के पश्चात् कि क्रेता इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं के परिवहन संबंधी नियमों का पालन करेगा, किसी पशु बाजार में किसी पशु के क्रेता को, मांग किए जाने पर, इन नियमों के अनुसार किसी पशु का क्रय किए जाने के सबूत के रूप में **प्ररूप II** में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगी ।

अध्याय 5 : पशु बाजार का निरीक्षण

14. राज्य बोर्ड की निरीक्षण प्राधिकृत करने की शक्ति.- उन नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को किसी भी पशु बाजार का निरीक्षण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा तथा आगे की कार्रवाई के लिए राज्य बोर्ड और समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अधिकारी –

(क) पशु बाजार के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) किसी भी व्यक्ति से उक्त बाजार की बाबत उसके द्वारा रखे गए किसी भी अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) पशुओं की क्रूरता की फोटो चित्रात्मक और वीडियों रूप में सबूत ले सकेगा ।

15. पशु बाजार का निरीक्षण.- (1) समिति, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा, जैसे अपेक्षा की जाएं, अपनी अधिकारिता में पशु बाजारों का नियमित निरीक्षण कराएगी ।

(2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात् एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी समीक्षा समिति द्वारा भावी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए की जाएगी ।

(3) यदि समिति के पास यह विश्वास करने का कराण है कि किसी पशु के साथ पशु बाजार में क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है तो वह ऐसे किसी पशु को पशु बाजार से हटा सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत पशु को स्थानीय एसपीसीए या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पशु कल्याण संगठन की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

16. अननुपालन के लिए कार्रवाई.- यदि कोई पशु बाजार इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो समिति ऐसे किसी प्राधिकरण को जिसके विधि द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी पशु बाजार को अनुज्ञप्त या रजिस्टर करने के लिए निहित किया गया है-

(क) ऐसे पशु बाजार की अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकेगी ।

(ख) यदि ऐसा अननुपालन किसी व्यक्ति के किसी कार्य या लोप के कारण हुआ है तो समिति द्वारा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अवधारित की जाने वाली बाकी समय अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी पशु बाजार में प्रवेश करने से वर्जित किए जाने की सिफारिश कर सकेगी :

परंतु ऐसी कोई सिफारिश ऐसे किसी पशु बाजार या व्यक्ति को जिसके संबंध में ऐसी सिफारिश की जा रही है, सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी ।

प्ररूप ।

[नियम 5 और नियम 6 देखिए]

अनुपालन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....पशु बाजार ने उक्त नियमों के नियम 5(2)/6(1) की अपेक्षानुसार पशु बाजार में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 के अधीन सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है ।

हस्ताक्षर.....

(पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण

समिति का प्राधिकृत अधिकारी)

प्ररूप ।।

[नियम 13 देखिए]

पशु क्रय प्रमाण पत्र

पशु क्रय करने की तारीख और समय:

जाति और नस्ल :

संख्या:

लिंग और आयु:

पहचान चिन्ह (यदि कोई हों):

कोई विशिष्ट लक्षण:

स्वास्थ्य प्रास्थिति:

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु बाजार में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 को पढ़ लिया है और मैं यह कथन करता हूं कि –

1. मैं पशु बाजार में पशुओं के उपचार संबंधी उक्त नियमों का पालन करूंगा ।
2. मैं पशु परिवहन नियम, 1978 और पशु संबंधी खाद्य परिवहन नियम, 2001 संबंधी उक्त नियमों का पालन करूंगा ।

क्रेता का हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पता.....

.....

तारीख.....

अर्हता.....

यह प्रमाण पत्र पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।

[फा. सं. 1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

मंजू पांडे, संयुक्त सचिव

IndiaCode

New Delhi, the 22nd March, 2018

G.S.R. 89.—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (*59 of 1960*), and in supersession of the Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock markets) Rules, 2017, is hereby published, as required by sub-section (1) of section 38 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Deputy Secretary (Animal Welfare) to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi.

DRAFT RULES

CHAPTER I: PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals in Animal Markets Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(b) "animal market" means a marketplace or sale-yard or any other premises or place to which animals are brought from other places and exposed for sale or auction and includes animal fairs and cattle pounds where animals are offered or displayed for sale or auction, as duly licensed or recognised under a State Act or any other law for the time being in force or any rules or regulations made thereunder;

(c) "Committee" means the Prevention of Cruelty to Animals Committee constituted or designated under rule 3, for each district;

(d) "Form" means form appended to these rules;

(e) "prohibited practices" means practices that are harmful to animals and cause unnecessary pain and suffering;

(f) "Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)" means a SPCA established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001;

(g) "State Board" means the State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government;

(h) "unfit animal" includes animals which are young, in advanced pregnancy, infirm, diseased, ill, injured or fatigued;

(i) "veterinary inspector" means a registered veterinarian authorised by the local authority;

(j) "young animal" means any animal below the age of six months.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II: PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS COMMITTEE

3. Constitution of Prevention of Cruelty to Animals Committee.— (1) There shall be a Prevention of Cruelty to Animals Committee in each district for the purpose of exercising the powers under these rules, to be constituted or designated by the concerned State Government.

(2) The Committee shall comprise of the following members: —

(a) the District Magistrate;

(b) one representative of the State Animal Welfare Board;

(c) the Superintendent of Police of the district;

(d) one representative of a local Non Governmental Organisation dealing with animal welfare;

(e) one representative of the SPCA;

(f) district veterinary officer, who shall be the Member Secretary;

(g) chairperson of the Zilla Parishad or Autonomous Council, as the case may be;

(h) chairman of the Municipality; or Panchayat at the district level;

(i) the Committee may co-opt such other persons, not exceeding three, with expertise in animal welfare, veterinary sciences, governance, and law enforcement.

Provided that the State Government may designate any Committee set up by it or a district administration under it or a State Act or the rules or regulations made thereunder for the upkeep of animal markets, as the Prevention of Cruelty to Animals Committee for the enforcement of these rules.

Provided further that the provisions of clauses (a) to (i) shall not apply in the case a Committee referred to in the first proviso.

(3) A person who has been convicted under the Act shall be prohibited from being a member of the Committee.

4. Functions of Committee.— (1) Every Committee shall take all necessary steps to ensure that no unnecessary pain and suffering is caused to animals in animal markets in its jurisdiction through such directions to such persons as may be necessary.

(2) Without prejudice to the generality of its power under sub-rule (1), every Committee shall-

(a) certify every existing animal market in its jurisdiction as fully or provisionally compliant with these rules subject to any conditions as it may deem fit, under rule 5;

(b) certify every new animal market proposed to be established in its jurisdiction as fully or provisionally compliant with these rules subject to any conditions as it may deem fit, under rule 6;

(c) determine specifications regarding facilities at all animal markets in its jurisdiction including maximum holding capacity under rule 7;

(d) take all necessary steps to ensure that no animal market in its jurisdiction, if such jurisdiction includes an international border, is the source of transport of animals across any international border, except as provided under rule 8;

(e) take all necessary steps to maintain a register of animal sales at animal markets in its jurisdiction under rule 12;

(f) make necessary arrangements to provide a certificate of compliance for purchaser of an animal at an animal market in its jurisdiction under rule 13;

(g) engage or utilise the services of veterinary inspector on such terms and conditions as it may determine to assist it in inspecting animal markets in its jurisdiction under rule 15;

(h) recommend appropriate action for non-compliance with these rules under rule 16.

5. Enforcement of rules in existing animal markets.— (1) The District Magistrate shall make a list of animal markets functional prior to the commencement of these rules and intimate the same to the Committee within two weeks of such commencement.

(2) Every animal market functional prior to the commencement of these rules, shall within a time period fixed by the Committee, seek certification of full compliance, as per Form I, with these rules from the Committee.

(3) The Committee may grant provisional certification subject to such conditions as it may deem fit, including ensuring full compliance with these rules in such period as the Committee may, for reasons to be recorded in writing, decide.

6. Enforcement of rules in new animal markets.— (1) Any new animal market sought to be established in a State or Union territory shall require prior certification from the Committee, as per Form I, regarding compliance with these rules.

(2) The Committee may grant provisional certification subject to such conditions as it may deem fit, including ensuring full compliance with these rules in such period as the Committee may decide.

CHAPTER III: FACILITIES AND PROVISIONS AT ANIMAL MARKETS TO PREVENT CRUELTY TO ANIMALS

7. Facilities at animal markets to prevent cruelty to animals.— (1) Every animal market shall ensure that the following facilities are available:**—**

(i) water supply;

(ii) lighting in areas where the markets function after sunset;

(iii) feed storage area and feed supply;

(iv) provisions for proper disposal of dead animals from the site;

(v) provisions to ensure hygiene, proper disposal of manure and bio-waste.

(2) The Committee shall, for reasons to be recorded in writing, determine the maximum holding capacity of every animal market.

(3) Specifications regarding the facilities mentioned in sub-rule (1) and the maximum holding capacity determined as per sub-rule (2), shall be intimated to each animal market by the Committee and prominently displayed at the animal market in such manner as the Committee may direct.

8. Animal markets near international borders.—Any Committee which has an international border in its jurisdictional area shall ensure that no animal market in its jurisdiction is the source of transport of animals across any international border except in accordance with the Transport of Animals Rules, 1978 and the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001.

9. Prohibited practices.—The following cruel and harmful practices shall be prohibited at animal markets, namely:-

(a) animal identification methods such as hot branding and cold branding;

(b) shearing of horns, bishoping in horses and ear cutting in buffaloes;

(c) casting animals on hard ground without adequate bedding during farriery;

(d) use of any hazardous chemicals on body parts of animals;

(e) sealing teats of the udder using any material such as adhesive tapes to prevent suckling;

(f) forcefully drenching any fluids or liquids or using steroids or diuretics or antibiotics, other than prescribed by a veterinarian for the purpose of treatment;

(g) use of any type of muzzle, that hurts, to prevent young animals from suckling or eating food;

(h) injecting oxytocin into milch animals;

(i) castration of animals by quacks or traditional healers;

(j) nose-cutting or ear-slitting or cutting by knife or hot iron marking for identification purposes other than by a veterinarian;

(k) tying rope around the penis of animals; or

(l) any other prohibited practice as determined by the Committee, for reasons to be recorded in writing:

Provided that the Committee may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the above practices as per local conditions.

10. Feeding and watering of animals.— It shall be the duty of the person in charge of an animal to ensure that the animal in an animal market is provided**—**

(a) with an adequate quantity of wholesome water as often as is necessary to prevent it suffering from thirst;

(b) with adequate quantity of wholesome food as is necessary to prevent it suffering from starvation.

CHAPTER IV: PREVENTING CRUELTY IN ANIMAL SALES

11. Prohibition relating to unfit animals.— (1) No unfit animal or young animal shall be sold in an animal market.

(2) No person shall permit an animal to be offered or displayed for sale in an animal market if it is likely to give birth while it is there or during its transportation to or from such animal market.

IndiaCode

12. Register of animal sales.— (1) The Committee shall cause the maintenance of a register containing**—**

(a) name and address of the purchaser and seller of an animal at an animal market;

(b) details of the animal sold at the animal market.

(2) The register shall be retained by the Committee for such period as the Committee may, for reasons to be recorded in writing, determine.

13. Certificate of compliance for purchaser.— The Committee shall, in Form II, provide to the purchaser of any animal at an animal market a certificate upon demand as proof of purchase of an animal in accordance with these rules after taking a declaration that the purchaser shall abide by the rules relating to transport of animals made under the Act or any other law for the time being in force.

CHAPTER V: INSPECTION OF ANIMAL MARKET

14. Powers of State Board to authorise inspection.—For the purpose of ensuring compliance with these rules, the State Board, may authorise any of its officers in writing to inspect any animal market and submit a report to the State Board and the Committee for further action and any officer so authorised may-

(a) enter at reasonable times to inspect the animal market;

(b) require any person to produce any record kept by him with respect to the said market;

(c) take photographic and video proof of cruelty to animals.

15. Inspection of animal markets.— (1) The Committee shall cause regular inspections of animal markets in its jurisdiction to be made by authorised officials, as may be required.

(2) Every such inspection shall be followed by an inspection report, to be scrutinised by the Committee to recommend future action.

(3) The Committee may remove from the animal market, any animal, if it has reason to believe that the animal is being treated cruelly at an animal market, and the animal so seized shall be kept in the custody of the local SPCA or an animal welfare organisation recognised by the Board.

16. Action for non-compliance.-- If any animal market fails to comply with these rules, the Committee may recommend to the authority invested by law to licence or register an animal market in a State or Union territory**--**

(a) for cancellation of licence or registration of such animal market;

(b) for imposition of a bar on any person from entering an animal market, if non-compliance is owing to any act or omission by him for such time period as may, for reasons to be recorded in writing, be determined by the Committee.

Provided that no such recommendation shall be made without giving the animal market, in respect of which, or person, in respect of whom, such recommendation is being made, an opportunity of being heard.

FORM I
[See rules 5 and 6]

Certificate of Compliance

This is to certify that_____ animal market has met all the requirements under the Prevention of Cruelty to Animal in Animal Market Rules, 2017 as required under rules 5(2) /6 (1) of the said rules.

Signature_____
(Authorised Official
Prevention of Cruelty to
Animal Committee)

FORM II

[See rule 13]

CERTIFICATE OF PURCHASE OF ANIMALS

Date and time of purchase of animal:

Species and Breed:

Number:

Sex and Age:

Identification Marks (if any):

Any specific characteristic:

Health Status –

I hereby certify that I have read the Prevention of Cruelty to Animals in Animal Market Rules, 2017, and hereby state that –

1. I will abide by the said rules pertaining to treatment of animals in the animal market.

2. I will abide by the said rules pertaining to the Transport of Animals Rules, 1978 and Transport of Animals on Foot Rules, 2001.

Signature of the Purchaser

Counter Signed_____

Authorised Signatory

Address_____

Date_____

Qualification_____

This Certificate should be counter signed by the Authorised Representative of the Prevention of Cruelty to Animals Committee.

IndiaCode

[F. No. 1/1/2016-AWD]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.